उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण/पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश

1– बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

क– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – अध्यक्ष
ख– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)– सदस्य,
ग– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी– सदस्य।

2– उक्त समिति द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण/**पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण** के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही शासनादेश एवं पूर्व प्रेषित विभागीय निर्देशों के क्रम में सम्पादित की जायेगी।

समिति द्वारा निम्नवत् समय सारिणी के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जानी हैः–

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी

क्र0 सं0	सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	समयावधि
1	जनपदीय समिति द्वारा दावे/आपत्तियों की प्राप्ति/निस्तारण	24.09.2020 से 28.09.2020 तक
2	जनपदीय समिति के निर्णयोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अध्यापक का डाटा रिसेट करते हुए अध्यापक/अध्यापिका हेतु संशोधन के लिए उपलब्ध कराया जाना	29.09.2020 से 30.09.2020 तक
3	अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अपने आवेदन फार्म मे वांछित संशोधनोपरान्त आवेदन पत्र पूर्ण किया जाना	01.10.2020 से 03.10.2020 तक
4	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के निर्णयोंपरान्त अन्तिम रूप से सबमिट किये गये आवेदन पत्रों को सत्यापित करते हुए लॉक किया जाना	04.10.2020 से 05.10.2020 तक
5	एन0आई0सी0 द्वारा यू0ए0टी0 (User Acceptance Test)	11.10.2020 से 12.10.2020 तक
6	अन्तिम सूची का प्रकाशन	15.10.2020
7	जनपद से कार्यमुक्त होकर स्थानान्तरित जनपद (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय) में कार्यभार ग्रहण करना	24.10.2020
8	स्थानान्तरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ऑनलाईन प्रक्रिया से आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना।	26.10.2020

पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी

क्र0 सं0	सम्पादित की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	समयावधि
1	जनपदीय समिति द्वारा दावे/आपत्तियों की प्राप्ति/निस्तारण	06.10.2020 से 09.10.2020 तक
2	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के निर्णयोंपरान्त रजिस्ट्रेशन पत्रों को सत्यापित करते हुए लॉक किया जाना	10.10.2020 से 11.10.2020 तक
3	अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा आपसी सहमति से पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र अन्तिम रूप से पूर्ण करने हेतु प्रारम्भ/अन्तिम तिथि	12.10.2020 से 17.10.2020 तक
4	अन्तिम सूची का प्रकाशन	22.10.2020

3– अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपदीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अर्ह आवेदन पत्रों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन कर रिसेट किया गया है।

आवेदन पत्र को रिसेट किये जाने के उपरान्त निर्धारित तिथियों के मध्य सम्बन्धित अध्यापक द्वारा अपने आवेदन में वांछित त्रुटियों को सही करते हुए अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से ओ0टी0पी0 (O.T.P.) के माध्यम से सबमिट (SUBMIT) किया जायेगा। आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट (SUBMIT) न किये जाने पर उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा। तद्‌परान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे सबमिट (SUBMIT) किये गये आवेदन पत्र को उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथियों के मध्य सत्यापित करते हुए लॉक किया जायेगा।

4– शासनादेश दिनांक 02.12.2019 में कुल 08 श्रेणियों में अध्यापक/अध्यापिकाओं हेतु भारांक की व्यवस्था की गयी है। कतिपय आवेदनकर्ता द्वारा किसी एक श्रेणी का त्रुटिपूर्ण रुप से चुनाव करते हुए आवेदन पत्र भरा गया है जिसके कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है।

जनपद स्तर पर दावे आपत्तियों की प्राप्ति एवं निस्तारण हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन पर लिये गये निर्णयोंपरान्त अर्ह आवेदन पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः रिसेट (अध्यापकों द्वारा वांछित संशोधन हेतु) कर दिया गया है। रिसेट किये गये आवेदन पत्र में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य वांछित संशोधन किया जायेगा।

5– अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत दो चरण– प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन एवं द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्ण किया गया है। अतएव् अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वितीय चरण में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में ही परिवर्तन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पत्र के किसी भी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

6– एकल माता–पिता (Single Parents) यथा– विधवा/विधुर/तलाकशुदा इत्यादि (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) हेतु 05 अंक भारांक की सुविधा प्रदान की गयी है।

एकल माता–पिता ऐसे अध्यापकों से सम्बन्धित है जो एकल माता–पिता की श्रेणी में आते है और उनकी संतान हो।

7– पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे अध्यापक/अध्यापिका जिनका रजिस्ट्रेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरस्त किया गया है यदि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उनके रजिस्ट्रेशन को स्वीकार किया जाना है तो ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाओं के रजिस्ट्रेशन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आईडी से सत्यापित करते हुए स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

8– समिति के निर्णयोपरान्त सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के प्रत्यावेदन पर लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथियों के मध्य स्थानान्तरण हेतु प्रयोग में लायी जा रही वेबसाइट **upbasiceduparishad.gov.in** पर सम्पादित की जायेगी।